



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रिक्त
अनावासीय सम्पत्तियों को निविदा सह-नीलामी से
प्राप्त करने का "स्वर्णिम अवसर"

आवेदन पत्र/विवरणिका

पंजीकरण

प्रारम्भ तिथि 20.10.2021

से 31.03.2022 तक

मूल्य रू0 1500 /-
(जी0एस0टी0 सहित)

अनावासीय सम्पत्ति की नीलामी हेतु नियम व शर्तें:-

1. योजना के आवेदन फार्म एवं विवरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क देकर ICICI बैंक, सिविल लाइन्स, शाखा, मुरादाबाद से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन फार्म में समस्त सूचनाएं भर कर टोकन धनराशि के रूप में भूखण्ड के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर आवेदन पत्र के साथ ICICI बैंक, सिविल लाइन्स, शाखा, मुरादाबाद में जमा किए जा सकेंगे।
3. आवेदन फार्म सही व पूर्ण भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अथवा निर्धारित अभिलेख संलग्न न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित अनावासीय सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) जहां हैं, जैसे हैं के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। नीलामी में भाग लेने वाले (इच्छुक क्रेता) नीलामी सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित भूखण्ड का स्थल निरीक्षण कर सकते हैं। उच्चतम बोली बोलने के बाद नीलाम किये गये भूखण्ड/भवन की स्थिति विषयक किसी भी दोष के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत ग्राह्य/मान्य नहीं होगी।
5. नीलामी में 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक ही भाग ले सकता है।
6. यदि बोलीदाता नीलामी स्थल पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या नीलामी की शर्तों/प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है तो उसका आवेदन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष/नीलामी समिति को होगा।
7. सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) हेतु न्यूनतम आरक्षित दर/मूल्य के ऊपर बोली रू० 1% के अन्तर पर ही बोली स्वीकार की जायेगी। यदि किसी सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) के विरुद्ध एक ही बोली प्राप्त होती है, तो ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) की 35 प्रतिशत धनराशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के एक माह के अन्दर धरोहर राशि को समायोजित करते हुये अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि 3 मासिक ब्याज रहित किस्तों में अथवा MCLR+1 प्रतिशत (नीलामी की दिनांक को प्रभावी) ब्याज के साथ 8 त्रैमासिक किस्तों में देय होगी। विलम्ब से जमा करने पर किस्तों में सम्मिलित ब्याज के अतिरिक्त 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा।
9. सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) की 35 प्रतिशत धनराशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के एक माह के अन्दर धरोहर राशि को समायोजित करते हुये अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि 3 मासिक ब्याज रहित किस्तों में अथवा MCLR+1 प्रतिशत ब्याज (नीलामी की दिनांक को प्रभावी) के साथ 8 त्रैमासिक किस्तों में देय होगी। विलम्ब से जमा करने पर किस्तों में सम्मिलित ब्याज के अतिरिक्त 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा।
10. यदि किसी आवेदक द्वारा इच्छित अनावासीय सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) के लिए निर्धारित जमानत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करते हुए आवेदन किया गया है और वह उस अनावासीय सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) के लिए उच्चतम बोली देने में असफल रहते हैं, तो वह अन्य अनावासीय सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) की नीलामी में भाग ले सकते हैं। अन्य सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) हेतु नीलामी में भाग लेने की स्थिति में यदि इच्छित सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) उसके द्वारा पूर्व में आवेदित सम्पत्ति से अधिक मूल्य का है, तो उन्हें उस अनावासीय सम्पत्ति के लिए बोली में भाग लेने से पूर्व निर्धारित टोकन धनराशि के अन्तर की धनराशि जमा करायी जानी होगी।
11. अन्य शुल्क जैसे कॉर्नर शुल्क (10 प्रतिशत), रोड़ शुल्क (05 प्रतिशत), पार्क शुल्क (10 प्रतिशत) सम्पत्ति की स्थलीय स्थिति अनुसार (अधिकतम 20 प्रतिशत) तथा फ्री-होल्ड शुल्क (12 प्रतिशत) अतिरिक्त देय होंगे।

12. सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) जिस योजना में स्थित है, उस योजना के स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण तक नियमानुसार निर्धारित दरों पर रख-रखाव शुल्क प्राधिकरण को देय होंगे।
13. सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) के सम्बन्ध में सर्विस टैक्स व नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आदि आवंटी द्वारा देय होंगे।
14. नीलामी कक्ष में बोलीदाता अथवा उनका अधिकृत प्रतिनिधि ही टोकन सहित प्रवेश कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता यदि नीलामी में स्वयं प्रतिभाग नहीं करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु अपने खून के रिश्ते में भाई/बहन, माता/पिता, पुत्र/पुत्री एवं पति/पत्नी को अधिकृत किया जा सकता है। अधिकार पत्र में सम्बन्धित व्यक्ति की फोटो एवं हस्ताक्षर इच्छुक क्रेता द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे। एक व्यक्ति केवल एक ही इच्छुक क्रेता का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। बोलीदाता अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के साथ मात्र एक अन्य व्यक्ति (भाई, बहन, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी) नीलामी कक्ष में उपस्थित हो सकेगा।
15. आवंटित सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) पर किसी अर्जन सम्बन्धी विवाद अथवा किसी न्यायालय में विधिक वाद अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से भूखण्ड का कब्जा देने में विलम्ब/बाधा की स्थिति में आवंटी को कोई क्षतिपूर्ति/ब्याज देय नहीं होगा तथा ऐसी दशा में आवंटी की मांग पर आवंटन निरस्त करते हुये जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
16. किसी भी प्रकार की देयता शेष रहने तथा नीलामी धारक द्वारा जमा न कराये जाने पर उक्त धनराशि को प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-40 के तहत भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी, जिसमें नीलामीदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
17. सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) का कब्जा विक्रय पत्र के निबन्धन के उपरान्त ही दिया जायेगा।
18. आवंटित भूखण्ड पर प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण अनुमत्य होगा एवं निर्माण सम्बन्धी सभी नियम व शर्तें आवंटी को मान्य होंगी।
- 19. आवंटित भूखण्ड के लिए भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं ऊंचाई मानचित्र स्वीकृति के समय प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास अधिनियम के अनुसार अनुमत्य होगा।**
20. उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) की नीलामी हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लिखित शर्तें मान्य होंगी।
21. स्थल पर पैमाइश के समय यदि क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि होती है, तो वृद्धि होने पर आवंटी द्वारा देय अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत बोली की दर से जमा करनी होगी एवं कमी होने पर अतिरिक्त जमा धनराशि का समायोजन आवेदक द्वारा देय धनराशि में से करते हुये यदि कोई धनराशि अवशेष होती है, तो आवंटी को बिना ब्याज के रिफण्ड कर दी जायेगी।
22. किसी भी नीलामी को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा नीलामी से पूर्व नियम व शर्तों में परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरुद्ध बोलीदाता का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
23. आवंटन के उपरान्त अन्तिम किस्त की देय तिथि से छः माह के भीतर की अवधि में, यदि आवंटी द्वारा आवंटित सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो आवंटन निरस्त कर टोकन धनराशि जब्त करते हुये, भूखण्ड समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक को कुल देय धनराशि का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए जमा धनराशि में से यदि अवशेष हो, तो वापस कर दी जायेगी।

24. आवंटन के उपरान्त अन्तिम किस्त की देय तिथि के 06 माह के पश्चात यदि आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो उसका आवंटन निरस्त कर टोकन धनराशि जब्त करते हुये, भूखण्ड समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक को कुल देय धनराशि का 30 प्रतिशत जब्त करते हुए, जमा धनराशि में से यदि अवशेष हो, तो वापस कर दी जायेगी।
25. आवंटी द्वारा लगातार 03 किस्तें जमा न करने पर अथवा अन्तिम किस्त की देय तिथि के 06 माह तक उसकी कोई किस्त/धनराशि देय होने पर वह डिफॉल्टर माना जायेगा। ऐसी स्थिति में उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं निरस्तीकरण की तिथि, यदि अन्तिम किस्त की देय तिथि के छः माह के भीतर होती है, तब प्रस्तर-23 व यदि अन्तिम किस्त की देय तिथि के छः माह के उपरान्त होती है, तो प्रस्तर-24 के अनुसार कटौतियाँ की जायेंगी।
26. आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गयी सूचना/अभिलेख असत्य/कूटचित पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर टोकन धनराशि जब्त करते हुए, निरस्तीकरण की तिथि को कुल देय धनराशि का 30 प्रतिशत जब्त करते हुए जमा धनराशि में से यदि अवशेष हो तो वापस कर दी जायेगी। यदि विक्रय विलेख के पश्चात उक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, तो विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- ❖ **नोट:**—उपरोक्त प्रस्तर 23 से 26 के अन्तर्गत कटौती हेतु कुल देय धनराशि का तात्पर्य पंजीकरण धनराशि को छोड़कर कुल जमा धनराशि एवं निरस्तीकरण/समर्पण की तिथि पर भुगतान शैड्यूल के अनुसार अवशेष देय धनराशि (किस्त, ब्याज व दण्ड ब्याज सहित) के योग से होगा।
27. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।
28. जो रिक्त सम्पत्तियां पुस्तिका में सम्मिलित नहीं हो पायीं हैं, उनको प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdamoradabad.org पर आवंटन हेतु अपलोड किया गया है। जहां से रिक्त सम्पत्तियों का अवलोकन कर आवेदक नियमानुसार नीलामी हेतु आवेदन कर सकता है।
29. रिक्त अनावासीय सम्पत्तियों का नीलामी शैड्यूल निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति के विवरण	नीलामी का दिन	नीलामी की तिथि
1	नया मुरादाबाद	क्रमांक 01 से 20 तक एवम् ग्रुप हाउसिंग + समस्त रिक्त शैक्षिक भूखण्ड	सोमवार	विज्ञापन की तिथि से 15 दिवस बाद सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक
2	नया मुरादाबाद	क्रमांक 21 से 40 तक एवम् हर्बल पार्क स्थित समस्त रिक्त सम्पत्तिया	मंगलवार	
3	नया मुरादाबाद +कबीर नगर + मऊ	क्रमांक 41 से 52 तक एवम् कबीर नगर + मऊ योजना की समस्त रिक्त अनावासीय सम्पत्तिया	बुद्धवार	
4	विकास मंजिल + आजाद नगर + ट्रान्सपोर्ट नगर + रामगंगा विहार	उपरोक्त योजनाओं की समस्त अनावासीय सम्पत्तिया	वृहस्पतिवार	
5	काशीराम जी नगर योजना	उपरोक्त योजनाओं की समस्त अनावासीय सम्पत्तिया	शुक्रवार	

नोट:— नियत दिवस में अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारण से नीलामी स्थगित होने पर अगले सप्ताह में निर्धारित दिन एवम् समय पर नीलामी सम्पन्न होगी।

30. सीलड बिड के माध्यम से प्रतिभाग (यह वैकल्पिक है)

30.1 जो भी इच्छुक क्रेता सीलड बिड प्रक्रिया से सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) लेना चाहते हैं, वह सीलड बिड निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ निर्धारित टोकन धनराशि (सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत) के बैंक ड्राफ्ट के साथ प्रश्नगत सम्पत्ति की नीलामी हेतु निर्धारित तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व समय 10:00 बजे पूर्वाह्न से नीलामी हेतु निर्धारित तिथि व समय तक Conference Hall (नीलामी कक्ष) में उक्त सम्पत्ति के लिए रखे गये **सीलड बिड बॉक्स** में डाले जा सकेंगे। सीलड बिड में लगाये गये बैंक ड्राफ्ट की फोटो प्रति एवं सीलड बिड लिफाफे की छायाप्रति सहित आवेदन फार्म भरने पर नीलामी में भाग लेने हेतु टोकन भी निर्गत किया जा सकेगा, परन्तु सीलड बिड वापिस नहीं की जायेगी।

30.2 सीलड बिड लिफाफे पर निम्नलिखित विवरण अंकित किया जायेगा।

(अ) सीलड बिड क्रेता का नाम व पूरा पता

(ब) पिता/पति का नाम

(स) योजना का नाम

(द) सम्पत्ति संख्या एवं क्षेत्रफल(य) सम्पत्ति के विरुद्ध बोली हेतु जो धनराशि आवेदन पत्र में अंकित की जायेगी, उसका उल्लेख अंको तथा शब्दों दोनों में किया जायेगा। कोई कटिंग/ओवर राइटिंग होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

30.3 प्रश्नगत सम्पत्ति (भवन/भूखण्ड) की सीलड बिड उस भूखण्ड की नीलामी प्रक्रिया की बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जायेंगी एवं बिड धनराशि सबके समक्ष घोषित की जायेगी। बोली गयी धनराशि एवं सीलड बिड की धनराशि में अधिकतम धनराशि के आधार पर नीलामी का परिणाम घोषित किया जायेगा।

31. शैक्षिक भूखण्डों हेतु अतिरिक्त नियम एवं शर्तें:—

31.1— भूखण्ड आवंटन के एक वर्ष के अन्दर स्कूल भूखण्ड की सम्पूर्ण धनराशि व लीजरेन्ट आदि जमा कराने के उपरान्त भूखण्ड को 30 वर्षों हेतु लीज (पट्टे) पर दिया जायेगा। इसके उपरान्त लीज का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

31.2— आवेदक संस्था द्वारा भूखण्ड की निर्धारित हो रही कीमत की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने तथा कीमत का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट जमा करने के उपरान्त रजिस्टर्ड लीज डीड (पट्टा) निष्पादित करायी जायेगी। तदोपरान्त आवेदक संस्था को भूखण्ड का कब्जा सौंपा जायेगा।

31.3— आवेदक संस्था को सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्राधिकृत/सक्षम अधिकारी से मान्यता प्राप्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र नीलामी तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

31.4— शासनादेश के अनुसार नीलामी की तिथि से 1 वर्ष के अन्दर स्कूल भूखण्ड की सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने एवं मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र न दिये जाने तथा लीज डीड के निष्पादन तिथि से 3 वर्ष के अन्दर भवन का निर्माण न किये जाने पर समस्त जमा धनराशि जब्त करते हुए भूखण्ड की नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

31.5— जिस उद्देश्य एवं प्रयोजन हेतु भूखण्ड का आवंटन किया गया है, भूखण्ड उसी उपयोग में लाया जायेगा। उल्लंघन की स्थिति में लीज निरस्त करते हुए विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

31.6— आवंटित स्कूल भूखण्ड पर निर्मित होने वाले विद्यालय में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को प्रवेश में आरक्षण अथवा शिक्षण शुल्क में छूट की देयता आदि के प्राविधान प्रदेश सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की सुसंगत नीतियों/शासनादेशों (समय-समय पर यथा संशोधित) से शासित होंगे।

31.7— स्कूल भवन का निर्माण कराने से पूर्व तत्समय प्रभावी भवन निर्माण उपविधि के अनुसार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।

31.8— शेष नियम व शर्तें उपरोक्त शासनादेश दिनांक 21.12.2011 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार लागू होंगी।

31.9— समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

31.10— सभी प्रकार के देय शासकीय करों यथा जी.एस.टी. आदि का भुगतान स्कूल भूखण्ड के निर्धारित हो रहे मूल्य के अतिरिक्त अलग से देय होंगे।

31.11— आवंटन उपरान्त समर्पण करने तथा आवंटी के डिफाल्टर होने की दशा में प्राधिकरण द्वारा नीलामी निरस्त कर समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

हर्बल पार्क में फूड कोर्ट, दुकानों एवं रेस्टोरेंट हेतु नियम एवं शर्तें:—

1. फूड कोर्ट एवं दुकानों का आवंटन किराये पर जहां है जैसा है के आधार पर नीलामी के माध्यम से 03 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, परन्तु उक्त सम्पत्ति का स्वामित्व मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का होगा।
2. परिसर पूर्णतया किराये के आधार पर दिया जा रहा है, जिस पर सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे। द्वितीय पक्ष परिसर का किरायेदार कहलायेगा तथा परिसर को चूँकि किराये पर दिया जा रहा है, इस कारण किराये की शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है, और किरायेनामों को निरस्त करने के उपरान्त किराये धारक/द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा कि वह जिस स्थिति में परिसर दिया गया है, उसे उसी स्थिति में प्राधिकरण को हस्तान्तरित करें।
3. नीलामी में सफल आवेदक द्वारा किरायेनामों के निष्पादन से पूर्व रू0 50,000.00 फूड कोर्ट एवं दुकान तथा रू0 1,00,000.00 रेस्टोरेंट की जमानत धनराशि एफ0डी0आर0 के रूप में जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक हो प्रस्तुत की जानी होगी। प्रश्नगत जमानत धनराशि की एफ0डी0आर0 किरायेनामों की अवधि समाप्त होने के पश्चात आवेदक को वापिस देय होगी, परन्तु किराये की अवधि में प्राधिकरण की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में उक्त की क्षतिपूर्ति जमानत धनराशि की एफ0डी0आर0 के माध्यम से की जा सकेगी।
4. किराये पर दुकान/फूड कोर्ट के संचालन हेतु सम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण एवं किरायेदार के मध्य अनुबन्ध निष्पादन उपरान्त सौंपा जायेगा।
5. द्वितीय पक्ष प्रश्नगत सम्पत्ति/परिसर का उपयोग प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नियमों/उपयोग के अनुसार ही करेगा।

6. किराये धारक/द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति में अपने व्यय पर किसी तरह का परिवर्तन/परिवर्धन करने से पूर्व उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से लिखित अनुमति अनिवार्य
7. होगी तथा निर्माण मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात ही अनुमन्य होगा। प्राधिकरण की अनुमति से किराये धारक द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति में परिवर्तन/परिवर्धन हेतु किये गये निर्माण आदि के व्यय को कोई मुआवजा प्राधिकरण द्वारा किराये धारक को नहीं दिया जायेगा। तथा तत्समय की यथा स्थिति में बिना कोई तोड़ फोड़ किये प्रश्नगत सम्पत्ति का कब्जा किराये की समय अवधि पूर्ण होने अथवा इससे पूर्व किसी दशा में किरायानामा निरस्त होने पर किराये धारक द्वारा प्राधिकरण को सौंपा जायेगा, अथवा प्राधिकरण स्वयं कब्जा लेने का अधिकारी होगा।
8. प्रश्नगत सम्पत्ति पर यदि द्वितीय पक्ष द्वारा कोई निर्माण किया जाता है तो किराये नामे की अवधि समाप्त होने पर अथवा उससे पूर्व किराया नामा निरस्त कर दिये जाने की स्थिति में उक्त निर्माण पूर्ण रूप में प्रथम पक्ष के स्वामित्व में निहित माना जायेगा। द्वितीय पक्ष को उसे हटाने का अथवा ध्वस्त करने का कोई अधिकार न होगा।
9. किरायाधारक/द्वितीय पक्ष द्वारा फूड कोर्ट के साथ सम्बद्ध खुले स्थान पर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष को प्रश्नगत सम्पत्ति किसी अन्य को सबलैट नहीं करेगा। यदि किसी समय यह पाया जाता है अथवा प्रथम पक्ष के संज्ञान में आता है कि द्वितीय पक्ष प्रश्नगत सम्पत्ति में किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को आधिपत्य प्रदान करता है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उससे लाभान्वित होता है तो प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि उक्त आधार पर द्वितीय पक्ष का किराया नामा निरस्त करते हुए सम्पत्ति का अधिपत्य प्राप्त कर लें।
11. दुकान/फूड कोर्ट का वार्षिक किराया प्रत्येक छमाही के प्रारम्भ से एक माह पूर्व वार्षिक शुल्क की 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में द्वितीय पक्ष द्वारा प्राधिकरण के कोश में एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध की समय अवधि पूर्ण होने अथवा अन्य किसी दशा में अनुबन्ध निरस्त होने पर "प्रश्नगत सम्पत्ति का कब्जा सौंपते समय अथवा इससे पूर्व देय किराया शुल्क व सर्विस टैक्स एवं अन्य शासकीय करों का ब्याज सहित भुगतान किराया धारक द्वारा प्राधिकरण को करना होगा, अन्यथा उ0प्र0 लोकधन देयों की वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित कर किराया धारक से वसूली की जायेगी।
12. निर्धारित अवधि में किराया न जमा करने पर तीन माह तक देय किराये पर MCLR+1 प्रतिशत ब्याज (नीलामी की दिनांक को प्रभावी) देय होगा। उसके पश्चात भुगतान न करने पर किरायानामा निरस्त कर जमा जमानत धनराशि जब्त की ली जायेगी, ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष को आपत्ति करने का कोई अधिकार न होगा।
13. द्वितीय पक्ष को प्राधिकरण की नियम/शर्तें तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

14. नगर निगम द्वारा आरोपित जलकर, सीवर कर एवं गृहकर तथा उनके अतिरिक्त आयकर मनोरंजनकर, विद्युत कर, सर्विस टैक्स एवं अन्य कर आदि सभी प्रकार के स्थानीय/राज्य/केन्द्र सरकार के करों/शुल्कों का भुगतान किराया धारक/द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। द्वितीय पक्ष का
15. यही भी दायित्व होगा कि वह उक्तानुसार वर्तमान या भविष्य में प्रश्नगत सम्पत्ति पर देय समस्त प्रकार के करों का भुगतान कर, करों की रसीदों को मूलरूप में प्रत्येक छमाही में प्रथम पक्ष/प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करें। प्रश्नगत सम्पत्ति के विद्युत संयोजन की व्यवस्था किराया धारक/द्वितीय पक्ष को स्वयं करनी होगी।
16. प्रश्नगत सम्पत्ति के अनुबन्ध उपरान्त यदि आवेदक/द्वितीय पक्ष अनुबन्ध की निर्धारित अवधि से पूर्व अनुबन्ध निरस्त करने का अनुरोध करता है तो उसकी जमा जमानत राशि जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त किया जायेगा। ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
17. यदि किराया धारक तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के मध्य किराया नाम की शर्तों के अनुरूप अथवा किराये पर दिये जा रहे प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई विवाद किसी भी रूप में उत्पन्न होता है तो उक्त विवाद का निस्तारण आर्बीटेशन एक्ट के प्राविधानों के अनुसार होगा। किसी भी पक्षकार को सर्वप्रथम न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा। विवाद निर्णीत करने के लिए माननीय आयुक्त/अध्यक्ष, मु0वि0प्रा0 को मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार होगा।
18. किराया धारक/द्वितीय पक्ष द्वारा प्राधिकरण के नियम व शर्तों का पालन न करने पर किरायानामा निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
19. अनुबन्ध निरस्त होने अथवा अनुबन्ध में वर्णित समय अवधि समाप्त होने के उपरान्त द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति को बिना किसी प्रकार की क्षति पहुंचाये मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद (प्रथम पक्ष) को तुरन्त हस्तान्तरित करना अनिवार्य होगा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद (प्रथम पक्ष) को तुरन्त ही री-एन्ट्री का अधिकार होगा।
20. किसी भी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा प्राधिकरण (प्रथम पक्ष) का कोई दायित्व नहीं होगा।
21. प्रश्नगत सम्पत्ति जिस प्रयोजन हेतु किराये पर दिया जा रहा है, उसी प्रयोजनार्थ प्रयोग होगा। द्वितीय पक्ष इसका प्रयोग या उपभोग किसी अनैतिक कार्य हेतु नहीं करेगा।
22. फूड कोर्ट/दुकानें तीन वर्षों हेतु आवंटित की जायेगी। उक्त अवधि में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष किराए में वृद्धि होगी।
23. आवंटी द्वारा दुकान के आस-पास साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। अगर यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो साफ-सफाई हेतु नोटिस दिये जाने की अंतिम तिथि के उपरान्त साफ-सफाई न करने पर रू0 300/- प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी, जिसको जमा न करने पर किराये पर दी गयी दुकान को सील करते हुए कब्जा वापस कर लिया जायेगा।

नीलामी हेतु निर्धारित दिन.....

आवेदन पत्र संख्या MDA/Oct./21/.....

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की नया मुरादाबाद योजना में
नीलामी के माध्यम से अनावासीय भूखण्ड प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

1. योजना का नाम
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
- (अंग्रेजी में)
3. आवेदक के पिता/पति का नाम
4. पता (क) स्थायी पता (हिन्दी में)
-
- (ख) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में).....
-

फोटो

स्वहस्ताक्षरित

(एक माह के अन्दर का

खिंचा हुआ)

5. आवेदक का पैन नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)
6. आवेदक का आधार नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)
7. आवेदित सम्पत्ति का विवरण (क) सैक्टर..... (ख) सम्पत्ति संख्या.....
8. आवेदक की आयु.....
9. आवेदक की आय (वार्षिक आय).....
10. आवेदित भुगतान पद्धति एकमुश्त/किस्तों में
11. आवेदक के खाते का विवरण:- खाता संख्या
- बैंक शाखा
- आई0एफ0एस0सी0 कोड.....
12. आवेदक का दूरभाष सं०.....(मोबाइल).....
13. आवेदक की ई-मेल आईडी
14. जमा प्रतिशतका विवरण:- बैंक ड्राफ्ट संख्यादिनांक
- जारीकर्ता बैंक का नाम
- प्रतिशत (अंको में) रू०.....
- प्रतिशत (शब्दों में)

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की उपरोक्त योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है तथा मैं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त नियमों व शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनायें मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत करा कर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही स्थल पर निर्माण करूंगा/करूंगी।

आवेदक का नाम

आवेदक के हस्ताक्षर

अनावसीय भूखण्डों की नीलामी दिनांक..... में सीलड बिड के माध्यम से भाग लेने हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।

स्व० प्रमाणित
फोटोग्राफ

विषय:- प्राधिकरण की नया मुरादाबाद योजना के सैक्टर..... में अनावसीय भूखण्ड सं०..... क्षेत्रफल..... के लिए सीलड बिड के सम्बन्ध में।

महोदय,

मैं प्राधिकरण के उपर्युक्त अनावसीय भूखण्ड सं०..... क्षेत्रफल..... व०मी० को क्रय करने हेतु इच्छुक हूँ। मैंने भूखण्ड को देख लिया है तथा जैसे है जहां है, उसी स्थिति में उक्त भूखण्ड क्रय करने हेतु सहमत हूँ। इस हेतु मैंने निर्धारित नियम एवं शर्तों को भली-भांति पढ़/समझ लिया है तथा समय-समय पर जारी किये गये प्राधिकरण के अन्य नियमों को मानने के वचन देता/देती हूँ।

उपर्युक्त भूखण्ड सं० जिसका क्षेत्रफल..... व०मी० है, आरक्षित मूल्य रू०..... के विरुद्ध मैं मूल्य रू० (अंकों में)..... (शब्दों में)..... को ऑफर देता/देती हूँ। शर्तों के अनुसार आरक्षित मूल्य से भूखण्ड के कुल मूल्य रू०..... का 10 प्रतिशत धनराशि रू०..... का बैंक ड्राफ्ट सं०..... (बैंक/शाखा का नाम.....) दिनांक..... जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय है, संलग्न कर रहा/रहीं हूँ।

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की उपरोक्त योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है तथा मैं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त नियमों व शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनायें मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत करा कर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही स्थल पर निर्माण करूंगा/करूंगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय/भवदीया

हस्ताक्षर:-

नाम:-

पति/पति का नाम:-

पता:-

मो० नं०:-

मेरे द्वारा यह सीलड बिड आज दिनांक..... को..... बजे खोला गया तथा ऑफर नोट किया गया।

सचिव,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद उ0प्र0

शपथ पत्र (रू0 100/- के नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम श्री.....
आयु..... व्यवसाय..... पूरा पता.....

मैं शपथ पूर्व बयान करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की..... योजना के अन्तर्गत..... हेतु
(योजना का नाम) (सम्पत्ति का विवरण)

पंजीकरण प्रार्थना पत्र संख्या..... दिनांक..... को प्रस्तुत किया गया व रू0.....
टोकन धनराशि बैंक ड्राफ्ट सं0..... दिनांक..... के माध्यम से जमा करायी है जिससे तारतम्य मैं यह
शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

2. मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।

3. मैं प्रार्थना पत्र केवल अपने लिए ही दे रहा/रही हूँ और इसमें किसी प्रकार का बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।

4. मैंने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ दी गयी पुस्तिका में उल्लिखित नियमों/शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं, परिभाषाओं को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता/देती हूँ।

5. आवंटित भूखण्ड के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है, तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति का मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

6. मुझे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूखण्ड देने की सभी शर्तों व नियम मान्य है।

7. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जब तक भूखण्ड की समस्त किस्तों एवं करों का पूर्ण रूप से भुगतान न कर दूँ मुझे भवन या भूमि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा और न ही भूखण्ड रिहायशी उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊंगा/लाउंगी।

8. यदि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटन उपरान्त आवेदित भूखण्ड कब्जा मैं न लूँ अथवा निर्धारित समय के अन्तर्गत मांगा गया रूपया न जमा करूंगा अथवा भूखण्ड की रजिस्ट्री न कराऊँ तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूँ तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त करने तथा भूखण्ड का आवंटन रद्द करने तथा भूखण्ड पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।


9. ऊपर मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण सत्य है और उपरोक्त शपथ-पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के सक्षम अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त कर लें और मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें, करें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषण:- मैं एतद्वारा बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 01 से 10 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

अनावासीय सम्पत्तियों का योजनावार विवरण:-


 मरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निविदा सह-नीलामी के माध्यम से व्यवसायिक भूखण्डों को प्राप्त करने का "स्वर्णिम अवसर"					नीलामी तिथि- विज्ञापन की तिथि से 15 दिवस बाद क्रमांक 01 से 20 तक प्रत्येक सोमवार, क्रमांक 21 से 40 तक प्रत्येक मंगलवार, क्रमांक 41 से 52 तथा क्रमांक 01 एकता विहार (दक्षिणी) तक की सम्पत्ति प्रत्येक बुद्धवार को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक। नियत दिवस में अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारण से नीलामी स्थगित होने पर अगले सप्ताह निर्धारित दिन एवम् समय पर नीलामी सम्पन्न होगी।				
क्र स	सैक्टर/ ब्लॉक	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (व०मी०)	अन्य विवरण	न्यूनतम आरक्षित दर (रु०)	अनुमानित कीमत (रु०)	धरोहर राशि (अनुमानित कीमत का 10%) (रु०)	वर्तमान स्थिति	
योजना का नाम:- नया मुरादाबाद								Open	Close d
1	सैक्टर-2	C-1	1772	Corner 30/30 mtr road	46000.00	8,15,12,000.00	81,51,200.00	✓	
2	सैक्टर-2	C-2	1772	Corner 30/18 mtr road	46000.00	8,15,12,000.00	81,51,200.00	✓	
3	सैक्टर-2	C-3	800	Corner 30/18 mtr road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
4	सैक्टर-2	C-4,5,6,7,8	800	30 mtr Road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
5	सैक्टर-2	C-9	800	Corner 30/18 mtr road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
6	सैक्टर-2	C-10	1600	Corner 30/18 mtr road	46000.00	7,36,00,000.00	73,60,000.00	✓	
7	सैक्टर-2	C-11	1600	Corner 30/30 mtr road	46000.00	7,36,00,000.00	73,60,000.00	✓	
8	सैक्टर-2	C-12	1600	Corner 30/18 mtr road	46000.00	7,36,00,000.00	73,60,000.00	✓	
9	सैक्टर-2	C-13	1600	Corner 18/18 mtr road	46000.00	7,36,00,000.00	73,60,000.00	✓	
10	सैक्टर-2	C-14	800	Corner 18/18 mtr road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
11	सैक्टर-2	C-15,16,17, 18,19	800	18 mtr road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
12	सैक्टर-2	C-20	800	Corner 18/18 mtr road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
13	सैक्टर-2	C-21	1772	Corner 18/18 mtr road	46000.00	8,15,12,000.00	81,51,200.00	✓	

14	सैक्टर-2	C-22	1772	Corner 30/18 mtr road	46000.00	8,15,12,000.00	81,51,200.00	✓	
15	सैक्टर-2	C-23	886	Corner 30/18 mtr road	46000.00	4,07,56,000.00	40,75,600.00	✓	
16	सैक्टर-2	C-24,25,26, 27,28,29	886	30 mtr Road	46000.00	4,07,56,000.00	40,75,600.00	✓	
17	सैक्टर-2	C-30	886	Corner 30/18 mtr road	46000.00	4,07,56,000.00	40,75,600.00	✓	
18	सैक्टर-2	C-31	1068.56	Corner 30/18 mtr road	46000.00	4,91,53,760.00	49,15,376.00	✓	
19	सैक्टर-2	C-32	722	18 mtr road	46000.00	3,32,12,000.00	33,21,200.00	✓	
20	सैक्टर-2	C-33	891.15	Corner 18/18 mtr road	46000.00	4,09,92,900.00	40,99,290.00	✓	
21	सैक्टर-2	C-34,35	700	18 mtr road	46000.00	3,22,00,000.00	32,20,000.00	✓	
22	सैक्टर-2	C-36	891.15	Corner 60/18 mtr road	46000.00	4,09,92,900.00	40,99,290.00	✓	
23	सैक्टर-2	C-37	1097.82	Corner 60/18 mtr road	46000.00	5,04,99,720.00	50,49,972.00	✓	
24	सैक्टर-2	C-38,39	1071.25	60 mtr road	46000.00	4,92,77,500.00	49,27,750.00	✓	
25	सैक्टर-2	C-40	1097.82	Corner 60/18 mtr road	46000.00	5,04,99,720.00	50,49,972.00		✓
26	सैक्टर-2	C-41	1475.25	Corner 60/18 mtr road	46000.00	6,78,61,500.00	67,86,150.00	✓	
27	सैक्टर-2	C-42,43	1072.25	60 mtr road	46000.00	4,93,23,500.00	49,32,350.00	✓	
28	सैक्टर-2	C-44	1475.25	Corner 60/30 mtr road	46000.00	6,78,61,500.00	67,86,150.00	✓	
29	सैक्टर-2	C-45	1475.25	Corner 30/18 mtr road	46000.00	6,78,61,500.00	67,86,150.00	✓	
30	सैक्टर-2	C-46,47	1072.25	18 mtr road	46000.00	4,93,23,500.00	49,32,350.00	✓	
31	सैक्टर-2	C-48	1475.25	Corner 18/18 mtr road	46000.00	6,78,61,500.00	67,86,150.00	✓	
32	सैक्टर-2	C-49	1097.82	Corner 18/18 mtr road	46000.00	5,04,99,720.00	50,49,972.00	✓	
33	सैक्टर-2	C-50,51	1071.25	18 mtr road	46000.00	4,92,77,500.00	49,27,750.00	✓	
34	सैक्टर-2	C-52	1097.82	Corner 18/18 mtr road	46000.00	5,04,99,720.00	50,49,972.00	✓	

35	सैक्टर-2	C-53	860	18 mtr road	46000.00	3,95,60,000.00	39,56,000.00	✓	
36	सैक्टर-2	C-54	800	18 mtr road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
37	सैक्टर-2	C-55	860	Corner 18/18 mtr road	46000.00	3,95,60,000.00	39,56,000.00	✓	
38	सैक्टर-2	C-56	886	Corner 18/18 mtr road	46000.00	4,07,56,000.00	40,75,600.00	✓	
39	सैक्टर-2	C-57,58,59,60,61,62	886	18 mtr road	46000.00	4,07,56,000.00	40,75,600.00	✓	
40	सैक्टर-2	C-63	886	Corner 18/18 mtr road	46000.00	4,07,56,000.00	40,75,600.00	✓	
41	सैक्टर-2	C-64,65,66,67	1260	18 mtr road	46000.00	5,79,60,000.00	57,96,000.00	✓	
42	सैक्टर-2	C-68	860	Corner 18/18 mtr road	46000.00	3,95,60,000.00	39,56,000.00	✓	
43	सैक्टर-2	C-69	800	18 mtr road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
44	सैक्टर-2	C-70	860	18 mtr road	46000.00	3,95,60,000.00	39,56,000.00	✓	
45	सैक्टर-2	C-71	800	Corner 18/18 mtr road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
46	सैक्टर-2	C-72,73	800	18 mtr road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
47	सैक्टर-2	C-74	800	Corner 30/18 mtr road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
48	सैक्टर-2	C-75,76,77,78	800	30 mtr Road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
49	सैक्टर-2	C-79	800	Corner 30/18 mtr road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
50	सैक्टर-2	C-80,81	800	18 mtr road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
51	सैक्टर-2	C-82	800	Corner 18/18 mtr road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	
52	सैक्टर-2	C-83,84,85,86	800	18 mtr road	46000.00	3,68,00,000.00	36,80,000.00	✓	


योजना का नाम:- एकता विहार (दक्षिणी)

1	ब्लॉक:-	C-24	121.04	9.00 mtr road	29000.00	35,10,160.00	3,51,016.00		✓
---	---------	------	--------	---------------	----------	--------------	-------------	--	---


 <p>मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निविदा सह-नीलामी के माध्यम से शैक्षिक भूखण्डों को प्राप्त करने का "स्वर्णिम अवसर"</p>	<p>नीलामी तिथि- विज्ञापन की तिथि से 15 दिवस बाद प्रत्येक सोमवार को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक। नियत दिवस में अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारण से नीलामी स्थगित होने पर आगामी सोमवार को निर्धारित समय पर नीलामी सम्पन्न होगी।</p>
---	---

शैक्षिक भूखण्डों का विवरण

क्र स	सेक्टर/ ब्लॉक	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (व०मी०)	अन्य विवरण	न्यूनतम आरक्षित दर (रु०)	अनुमानित दर (रु०)	धरोहर राशि (अनुमानित कीमत का 10%) (रु०)	वर्तमान स्थिति	
योजना का नाम:- नया मुरादाबाद								Open	Closed
1	सेक्टर-01	हायर सेकेन्डरी	1769.89		23000.00	4,07,07,470.00	40,70,747.00	✓	
2	सेक्टर-05	हायर सेकेन्डरी	3061.25		23000.00	7,04,08,750.00	70,40,875.00	✓	
3	सेक्टर-06	हायर सेकेन्डरी	8165.3		23000.00	18,78,01,900.00	1,87,80,190.00	✓	
4	सेक्टर-08	नर्सरी / प्री-नर्सरी	5495		23000.00	12,63,85,000.00	1,26,38,500.00	✓	
5	सेक्टर-12	नर्सरी / प्री-नर्सरी	2010		23000.00	4,62,30,000.00	46,23,000.00	✓	
6	सेक्टर-14	नर्सरी / प्री-नर्सरी	2928		23000.00	6,73,44,000.00	67,34,400.00	✓	
7	सेक्टर-15	प्राइमरी स्कूल	2906.78		23000.00	6,68,55,940.00	66,85,594.00	✓	
योजना का नाम:- गजरौला आवासीय योजना								Open	Closed
1	ब्लॉक:-		866.05		23000.00	1,99,19,150.00	19,91,915.00	✓	


	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निविदा सह-नीलामी के माध्यम से ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों को प्राप्त करने का "स्वर्णिम अवसर"	नीलामी तिथि- विज्ञापन की तिथि से 15 दिवस बाद प्रत्येक सोमवार को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक। नियत दिवस में अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारण से नीलामी स्थगित होने पर आगामी सोमवार को निर्धारित समय पर नीलामी सम्पन्न होगी।
	ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों का विवरण	

क्र० सं०	सेक्टर/ ब्लॉक	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (व०मी०)	अन्य विवरण	न्यूनतम आरक्षित दर (रु०)	अनुमानित दर (रु०)	धरोहर राशि (अनुमानित कीमत का 10%) (रु०)	वर्तमान स्थिति	
योजना का नाम:- नया मुरादाबाद								Open	Closed
1	सेक्टर-04	3	6800		34500.00	23,46,00,000.00	2,34,60,000.00	✓	
2	सेक्टर-04	4	6000		34500.00	20,70,00,000.00	2,07,00,000.00	✓	
3	सेक्टर-04	6	6000		34500.00	20,70,00,000.00	2,07,00,000.00	✓	
4	सेक्टर-04	7	6000		34500.00	20,70,00,000.00	2,07,00,000.00	✓	
5	सेक्टर-11	1	5720		34500.00	19,73,40,000.00	1,97,34,000.00	✓	

	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निविदा सह-नीलामी के माध्यम से व्यवसायिक दुकानें/हॉल/क्योस्क/प्लेटफार्म को प्राप्त करने का "स्वर्णिम अवसर"	नीलामी तिथि- विज्ञापन की तिथि से 15 दिवस बाद प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक। नियत दिवस में अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारण से नीलामी स्थगित होने पर आगामी शुक्रवार को निर्धारित समय पर नीलामी सम्पन्न होगी।
	नीलामी तिथि- विज्ञापन की तिथि से 15 दिवस बाद प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक। नियत दिवस में अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारण से नीलामी स्थगित होने पर आगामी शुक्रवार को निर्धारित समय पर नीलामी सम्पन्न होगी।	


क्र सं	योजना	श्रेणी	सम्पत्ति की सं०	अनु० क्षेत्रफल (व०मी०)	रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	कीमत प्रति दुकान/ क्योस्क/ प्लेटफार्म (रु०)	कुल कीमत (रु०)	धरोहर धनराशि (10 प्रतिशत)	वर्तमान स्थिति	
									Open	Closed
1	काशीराम जी नगर	दुकानें-भूतल	GF 03 to GF 20, GF 22 & GF 23, GF 26 to GF 36	10.80	30	1488700.00	44661000.00	148870.00	✓	

योजना (भो0मि0)	दुकानें-प्रथम तल	FF-01 to FF-36	10.80	36	1231400.00	44330400.00	123140.00	✓	
	ब्लॉक ई (क्योस्क)	K-02 To K-07	4.428	6	497900.00	2987400.00	49790.00	✓	
	सब्जी मण्डी प्लेटफार्म	PF-03	6.79	1	339200.00	339200.00	33920.00	✓	
		PF-04	12.08	1	494000.00	494000.00	49400.00	✓	
		PF-05, 12	6.01	2	306100.00	612200.00	30610.00	✓	
		PF-07 To 11	6.34	5	320100.00	1600500.00	32010.00	✓	
		PF-13	12.77	1	592700.00	592700.00	59270.00	✓	
		PF-14,15,16	6.9	3	343800.00	1031400.00	34380.00	✓	
		PF-23,24	4.65	2	248500.00	497000.00	24850.00	✓	
	PF-25	4.81	1	255200.00	255200.00	25520.00	✓		
	पॉकेट बी (शॉपिंग कॉम्प्लैक्स दुकाने (भूतल))	B-2	12.03	1	1192000.00	1192000.00	119200.00	✓	
		B-5	12.63	1	1229000.00	1229000.00	122900.00	✓	
	दुकाने (प्रथम तल)	FF-01,02	12.03	2	945100.00	1890200.00	94510.00	✓	
FF-03 To 14		12.63	12	969700.00	11636400.00	96970.00	✓		

 **मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की विभिन्न योजनाओं क अन्तर्गत निविदा सह-नीलामी के माध्यम से व्यवसायिक दुकानें/हॉल/क्योस्क/प्लेटफार्म को प्राप्त करने का "स्वर्णिम अवसर"**

नीलामी तिथि- विज्ञापन की तिथि से 15 दिवस बाद प्रत्येक बुधवार को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक। नियत दिवस में अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारण से नीलामी स्थगित होने पर आगामी बुधवार को निर्धारित समय पर नीलामी सम्पन्न होगी।

क्र स	योजना	श्रेणी	सम्पत्ति की सं०	अनु० क्षेत्रफल (व०मी०)	रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	कीमत प्रति दुकान/क्योस्क/प्लेटफार्म (रु०)	कुल कीमत (रु०)	धरोहर धनराशि (10 प्रतिशत)	Open	Closed
2	कबीर नगर	दुकाने (भूतल)	4,5,6	9.419	3	349800.00	1049400.00	34980.00	✓	
			7	7.176	1	266500.00	266500.00	26650.00	✓	
3	मऊ योजना	(क्योस्क)	M.K 01 to M.K 06	4.125	6	305500.00	1833000.00	30550.00	✓	

 **मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत निविदा सह-नीलामी के माध्यम से व्यवसायिक दुकानें/हॉल/गोदम को प्राप्त करने का "स्वर्णिम अवसर"**

नीलामी तिथि- विज्ञापन की तिथि से 15 दिवस बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक। नियत दिवस में अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारण से नीलामी स्थगित होने पर आगामी बृहस्पतिवार को निर्धारित समय पर नीलामी सम्पन्न होगी।

योजना	श्रेणी	सम्पत्ति की सं०	अनु० क्षेत्रफल (व०मी०)	रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	कुल कीमत रु०	न्यू० आरक्षित मूल्य प्र०व०मी० (रु०)	धरोहर राशि (अनुमानित कीमत का 10%) (रु०)	Open	Closed
-------	--------	-----------------	------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------------------------	---	------	--------

रामगंगा विहार-द्वितीय	हॉल-भूतल	Hall-B	232.61	1	29308860	126000.00	2930886.00	✓	
	हॉल-द्वितीय तल	Hall-A2	239.39	1	25303523	105700.00	2530352.30	✓	
		Hall-B2	232.61	1	24586877	105700.00	2458687.70	✓	
		Hall-D2	232.61	1	24586877	105700.00	2458687.70	✓	
विकास मंजिल	दुकानें	FF-10, 11, 13, 19, 25 to 27,	12.15	7	1964096.1	161654.00	196409.61	✓	
		SF-11	12.15	1	2451177.5	201743.00	245117.75	✓	
	गोदाम	1	63.84	1	11129546	174335.00	1112954.64	✓	
	हॉल सं0-01 (तृतीय तल)	1	236.09	1	32806122	138956.00	3280612.20	✓	
	हॉल सं0-02 (तृतीय तल)	2	187.24	1	26018121	138956.00	2601812.14	✓	
	हॉल सं0-03 (तृतीय तल)	3	60.60	1	8420733.6	138956.00	842073.36	✓	
	हॉल सं0-04 (तृतीय तल)	4	167.87	1	23326544	138956.00	2332654.37	✓	
	हॉल सं0-01 (चतुर्थ तल)	1	236.09	1	32806122	138956.00	3280612.20	✓	
	हॉल सं0-02 (चतुर्थ तल)	2	187.24	1	26018121	138956.00	2601812.14	✓	
	हॉल सं0-03 (चतुर्थ तल)	3	60.60	1	8420733.6	138956.00	842073.36	✓	
	हॉल सं0-04 (चतुर्थ तल)	4	60.60	1	8420733.6	138956.00	842073.36	✓	




मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
द्वारा निर्मित ईको हर्बल पार्क में निविदा
सह-नीलामी के माध्यम से
"रेस्टोरेंट, फूड कोट एवं दुकानें"
को प्राप्त करने का "स्वर्णिम अवसर"

नीलामी तिथि- विज्ञापन की तिथि से 15 दिवस बाद
प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे
तक। नियत दिवस में अवकाश होने अथवा अपरिहार्य
कारण से नीलामी स्थगित होने पर आगामी मंगलवार को
निर्धारित समय पर नीलामी सम्पन्न होगी।

रेस्टोरेंट

क्र०स 0	सेक्टर/ ब्लॉक	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (व०मी०)	अन्य विवरण	मासिक किराया (प्रति हॉल)	अनुमानित कीमत प्रति वर्ष (रु०)	धरोहर राशि (अनुमानित कीमत का 10%) (रु०)	वर्तमान स्थिति	
योजना का नाम:- नया मुरादाबाद								Open	Closed
1	सेक्टर-09	2 Hall	279.84		75000.00	900000.00	90000.00	✓	

फूड कोर्ट एवं दुकानें				वर्तमान स्थिति	
क्र.सं.	सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल (व.मी.)	वार्षिक किराया (रू0)	Open	Closed
1	फूड कोर्ट सं0 03	12.96 + 80.00 (खुला स्थान)	3,60,000.00	✓	
2	फूड कोर्ट सं0 04	12.96 + 80.00 (खुला स्थान)	3,60,000.00	✓	
3	फूड कोर्ट सं0 05	12.96 + 80.00 (खुला स्थान)	3,60,000.00	✓	
4	दुकान सं0-01	27.01	2,30,000.00	✓	
5	दुकान सं0-02	25.68	2,16,000.00	✓	

 <p>मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निविदा सह-नीलामी के माध्यम से व्यवसायिक दुकानें/पेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड को प्राप्त करने का "स्वर्णिम अवसर"</p>	<p>नीलामी तिथि- विज्ञापन की तिथि से 15 दिवस बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक। नियत दिवस में अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारण से नीलामी स्थगित होने पर आगामी बृहस्पतिवार को निर्धारित समय पर नीलामी सम्पन्न होगी।</p>
--	---

पेट्रोल पम्प एवं व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स								वर्तमान स्थिति	
योजना का नाम:- ट्रान्सपोर्ट नगर								Open	Closed
क्र0स0	सैक्टर/ ब्लॉक	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (व0मी0)	अन्य विवरण	न्यूनतम आरक्षित दर (रू0)	अनुमानित कीमत (रू0)	धरोहर राशि (अनुमानित कीमत का 10%) (रू0)		
1	ब्लॉक:-	O-12	582		30000.00	1,74,60,000.00	17,46,000.00	✓	
2	ब्लॉक:-	O-13	576		30000.00	1,72,80,000.00	17,28,000.00		✓
3	व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स		3291	बेसमेंट एवं भूतल पर कुल दुकानें 96 एवं 08 स्टोर		16.09 Cr.	1.60 Cr.	✓	
योजना का नाम:- आजाद नगर									
1	आजाद नगर		1502		44000.00	6,60,88,000.00	66,08,800.00	✓	

नीलामी हेतु समय सारणी:-

क्र. सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति के विवरण	नीलामी का दिन	नीलामी की तिथि
1	नया मुरादाबाद	क्रमांक 01 से 20 तक एवम् ग्रुप हाउसिंग + समस्त रिक्त शैक्षिक भूखण्ड	सोमवार	विज्ञापन की तिथि से 15 दिवस बाद सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक
2	नया मुरादाबाद	क्रमांक 21 से 40 तक एवम् हर्बल पार्क स्थित समस्त रिक्त सम्पत्तिया	मंगलवार	
3	नया मुरादाबाद +कबीर नगर + मऊ	क्रमांक 41 से 52 तक एवम् कबीर नगर + मऊ योजना की समस्त रिक्त अनावासीय सम्पत्तिया	बुद्धवार	
4	विकास मंजिल + आजाद नगर + ट्रान्सपोर्ट नगर + रामगंगा विहार	उपरोक्त योजनाओं की समस्त अनावासीय सम्पत्तिया	वृहस्पतिवार	
5	काशीराम जी नगर योजना	उपरोक्त योजनाओं की समस्त अनावासीय सम्पत्तिया	शुक्रवार	

नोट:-

- नियत दिवस में अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारण से **नीलामी स्थगित होने पर अगले सप्ताह में निर्धारित दिन एवम् समय** पर नीलामी सम्पन्न होगी। नीलामी के दिन यदि आवेदक किसी कारणवश नीलामी में प्रतिभाग नहीं कर पाता तो अपनी दर/शील्डबिड अगामी तिथि हेतु शील्डबिड बॉक्स में जमा कर सकता है जिसे अगामी नीलामी दिवस पर सम्मिलित किया जाएगा।
- आवेदन फार्म एवं विवरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क **ICICI बैंक, सिविल लाइन्स, शाखा, मुरादाबाद** में प्राधिकरण के बचत खाता सं0 01900106737 में जमा कर बैंक से प्राप्त किये जा सकते हैं।